वर्ष: 02 अंक: 10

आयोग की मासिक पत्रिका

एक कदम पारदर्शिता की ओर

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूज़लेटर - अप्रैल - 2023

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवां तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट
नई दिल्ली-110003

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूजलेटर

वर्ष: 02 अंक: 10

अप्रैल 2023

संपादक

राजेश रंजन सिंह

ई–मेल : singh.rr9@gmail.com

@srajeshranjan

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ओर से लगातार हर माह मासिक पत्रिका प्रकाशित करने का सिलसिला जारी है। आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का यह 22वां अंक है। अभी तक आप सभी के सहयोग व मार्गदर्शन से सफलतापूर्वक 21 अंकों का प्रकाशन किया जा चुका है। पूर्ववत ही इस बार भी हमने पत्रिका में स्थलीय निरीक्षणों, समीक्षा बैठकों व अन्य महत्वपूर्ण विषयों को जगह दी है ताकि आम जनता को आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों की वस्तुत: जानकारी मिल सके। इस अंक में आयोग द्वारा सफलतापूर्वक निपटाए गए मामलों और सोशल मीडिया द्वारा मिली जानकारी के आधार पर लिए गए संज्ञान के मामले को भी जगह दी गई है। साथ ही बीते माह मीडिया में प्रकाशित आयोग की खबरों को भी प्रकाशित किया गया है। आशा है मासिक पत्रिका के जरिए आपको जानकारी मिलती रहे और पत्रिका प्रकाशन में आपका सहयोग मिलता रहे।

धन्यवाद

(संपादक)

किसी भी प्रकार के सुझाव और शिकायतों के लिये संपर्क करें:

011 - 24620435 & 24606802

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi - 110003

website: http://ncsc.nic.in

ऑनलाइन शिकायत यहां दर्ज करें:

https://ncsc.negd.in/

National Commission for Scheduled Castes

श्री विजय सांपला
अध्यक्ष

श्री अरूण हालदार
उपाध्यक्ष

डॉ. अंजू बाला
सदस्या

श्री सुभाष रामनाथ पारधी
सदस्य

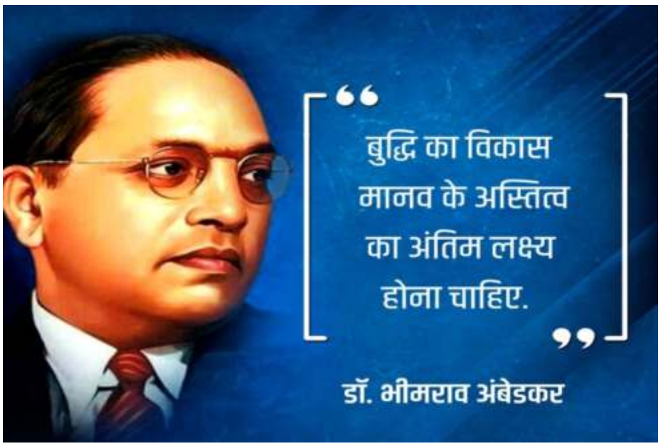

@NCSC_GoI @NCSC.GoI @ncsc_goi

माननीय अध्यक्ष का संदेश

श्री विजय सांपला
अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका के 22वें अंक के लिए संदेश लिखते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। बीते 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती का आयोजन नई दिल्ली स्थित आयोग मुख्यालय में किया।

इस दौरान आयोग की ओर से बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। उन्होंने जनकल्याण के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग को समान अधिकार दिलाने, जाति व्यवस्था का विरोध कर समाज में सुधार लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आयोग भी बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलकर समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है।

अप्रैल माह में आयोग ने कई मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया है। इसमें हरियाणा राज्य की एक छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिलाने और आन्ध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले के एक होटल में माननीय डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर छपी कागज की प्लेटो पर भोजन परोसने के मामले में की गई एफआईआर को निरस्त करने के मामले शामिल हैं। आयोग ने ऐसे ही कई मामलों को सफलतापूर्वक निपटारा किया है जिससे अनुसूचित जाति के लोगों को जल्द न्याय मिला।

इसके अलावा लोगों से मिली शिकायतों, मीडिया-सोशल मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट की गई ऐसी घटनाओं पर आयोग ने पूर्ववत ही संज्ञान लिया और नोटिस जारी किए। कई मामलों में आयोग के दल ने घटना की पूर्ण जानकारी लेने के लिए स्थलीय निरीक्षण भी किया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग की प्रतिबद्धता है कि शहरों से लेकर दूरस्थ गांवों में रह रहे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को न्याय दिलाया जा सके। इसके लिए आयोग हर संभव प्रयास कर रहा है। मासिक पत्रिका को सफल बनाने के लिए आपका सहयोग पूर्ववत वांछनीय रहेगा।

जय हिंद !

सादर धन्यवाद

विजय सांपला

अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

सफल मामले

आयोग की सख्ती पर छात्रा को मिली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बकाया राशि

हरियाणा में अनुसूचित जाति के छात्रों की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से सम्बन्धित अब कोई मामला लंबित नहीं रहेगा। ये जानकारी हरियाणा के अधिकारियों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान दी।

गई। आयोग के निर्देशानुसार छात्रा को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बकाया दे दिया गया है। साथ ही अधिकारियों ने आयोग को बताया कि इस संबंध में कई फैसले लिए हैं जिससे किसी भी छात्र की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप न रुके।

इस संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने बताया कि छात्रा लक्ष्मी सिंह से जुड़े मामले की सुनवाई आज की गई। छात्रा ने आयोग को शिकायत दी थी कि उसने ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में दाखिला लिया था और उसने 4 साल की फीस लगभग 4 लाख रुपये जमा कराए।

लेकिन छात्रा को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं दी

इसके लिए अखबारों में प्रेस नोट जारी किया गया जिससे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर जागरूकता फैले।

इसके अलावा सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के सभी पुराने मामले निपटाने के लिये निर्देश दिया गया और ये सख्त निर्देश दिया गया है कि ऐसा न करने की स्थिति में नई ग्रान्ट जारी नही की जाएगी।

आयोजन

बाबा साहब अंबेडकर जयंती पर अर्पित की गई पुष्पांजलि

संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मुख्यालय में पुष्पांजलि अर्पित की गई।

बाबा साहब की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अनुसुचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने दीप प्रज्जवलित कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान आयोग के संयुक्त सचिव श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह व अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों ने भी बाबा साहब को नमन करते हुए उनकी तस्वीर पर पुष्प चढ़ाए।

इस मौके पर माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने कहा कि बाबा साहब समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ही कोई कार्य करते थे। उन्होंने कभी भी बदले की भावना से कोई काम नहीं किया।

बाबा साहब जीवन भर जातिवाद जैसी समस्याओं को खत्म करने और समाज के वंचितों, महिलाओं व अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए लड़ते और संघर्ष करते रहे।

स्थलीय निरीक्षण

सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में आयोग का स्थलीय निरीक्षण

पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले में सामूहिक बलात्कार के बाद हत्या के मामले का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग के एक दल ने माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार जी के नेतृत्व में स्थलीय निरीक्षण किया। मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तरी दिनाजपुर जिले के कलियागंज में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार के बाद एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों को उसका शव एक नहर में तैरता हुआ मिला। लड़की शाम को ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी। स्थलीय निरीक्षण के लिए पहुंचे माननीय उपाध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। साथ ही उस नहर का भी निरीक्षण किया जहां से शव मिला था। माननीय उपाध्यक्ष ने राज्य के डीजीपी, डीएम और एसपी को आदेश दिया कि वे 3 दिनों के भीतर आयोग को विस्तृत रिपोर्ट सौंपें। साथ ही अपराधियों को पकड़ने और दंडित करने के लिए भी निर्देशित किया।

समीक्षा बैठक

कठुआ-सांबा में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का एक दल समीक्षा बैठक के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पहुंचा। इस दल की अगुवाई माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला ने की। यहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ कठुआ और सांबा जिले में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की। जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान कठुआ और सांबा में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में संबंधित जनपद के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित जनपद के सभी प्रसाशनिक अधिकारियों की उपस्थिती में अनुसूचित जाति के लिए सरकारी योजनाओं एवं समस्याओं से सम्बंधित विषयों पर समीक्षात्मक बैठक की।

समीक्षा बैठक

आयोग की ECIL-SCCL के साथ समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने तेलंगाना राज्य का दौरा किया। इस दौरान आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (ECIL) व द सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) के साथ मिलकर समीक्षा बैठक की।

बैठक की अगुवाई आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने की।

इस समीक्षा बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड व द सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के सीएमडी, आयोग के वरिष्ठ अधिकारी व एसोसियन के सदस्य भी मौजूद रहे।

इस समीक्षा बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड व द सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड में अनुसूचित जाति के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बनी आरक्षण नीति की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई।

सफल मामले

आयोग की अनुशंसा पर 18 युवकों पर की गई FIR निरस्त

आन्ध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले के एक होटल में माननीय डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर छपी कागज की प्लेटो पर भोजन परोसने के मामले में आयोग में सुनवाई हुई। आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने बताया कि सुनवाई के दौरान पुलिस ने आयोग को जानकारी दी कि मामले में एससी-एसटी एक्ट व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 295-A को आयोग के निर्देशानुसार जोड़ दिया गया है। साथ ही अनुसूचित जाति के 18 युवकों पर की गई एफआईआर को भी निरस्त कर दिया गया इस दौरान आंध्र प्रदेश सरकार की जी. जयलक्ष्मी, प्रमुख सचिव (समाज कल्याण विभाग), कलेक्टर हिमांशु शुक्ला, गुंटूर रेंज के आईजी आईपीएस जे. प्रभाकर राव, कोनासीमा जिले के एसपी सुधीर कुमार रेड्डी मौजूद रहे।

ये था मामला

आयोग को पिछले साल 8 जुलाई को ट्विटर के जरिए एक शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कोनासीमा जिले के एक होटल में अंबेडकर जी की तस्वीर वाली कागज की प्लेट पर खाना परोसा गया था। जब अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों द्वारा इसका विरोध किया गया, तो होटल मालिक ने 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी। पुलिस ने अनुसूचित जाति के 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

खबरों में आयोग

New Delhi

The Andhra Pradesh Police has invoked the SC-ST Act against a hotel that served food on paper plates with the pictures of B R Ambedkar on those, the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) said on Tuesday.

The NCSC received a complaint on July 8 last year through Twitter, alleging that food was served on paper plates with the picture of Ambedkar in a hotel in Konaseema district.

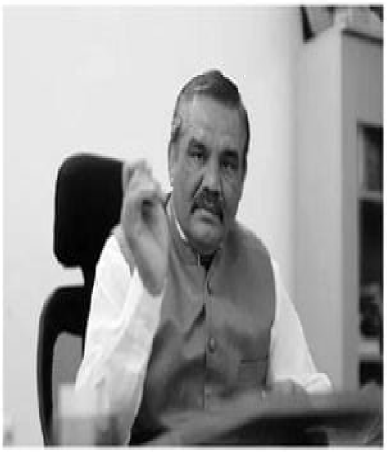

When a protest was staged against this by the members of Scheduled Caste (SC) communities, the hotel owner got an FIR lodged against 18 men.

The police arrested th 18 SC men and sent then to jail. Police investigated under sections of th Scheduled Castes an Scheduled Tribes (Preven tion of Atrocities) Act an the Indian Penal Cod (IPC) and after finding th allegations against the ho tel owner and the pape plate seller to be true, the were arrested.

NCSC Chairman Vija Sampla said during a hear ing, police informed th commission that the SC-S Act and section 295A o

---

जागरण | राज्य चुनें | Epaper | Podcast

ताज़ा | राष्ट्रीय | स्पेशल | शेयर बाजार | प्राइम न्यूज़ | पॉलिटिक्स | दुनिया | वेब स्टोरीज | मनोरंजन | बिजनेस | क्रिकेट

गरण फोकस | IPL 2023 | जी20 भारत | क्या खरीदें | नई रिलीज | गेमिंग न्यूज़ | विश्वास न्यूज़

Hindi News / National

आंध्र प्रदेश में बाबा साहेब के अपमान का विरोध करने वाले 18 युवकों पर दर्ज FIR हुई निरस्त

JAGRAN NEWS

Publish Date: Tue, 18 Apr 2023 10:34 PM (IST)

Updated Date: Tue, 18 Apr 2023 10:34 PM (IST)

Govt to withdra promotion orde of lecturers

CHANDIGARH, APRIL 20

The Department of Sch Education on Thursday s mitted an undertaking the National Commiss for Scheduled Ca (NCSC) that the orders re ing to the promotion of turers/headmasters/voca tional lecturers to the pos Principal will be withdra

NCSC Chairman V Sampla directed the dep ment to hold meetings v Scheduled Caste associati to resolve their grievance

The associations had s mitted a complaint to NCSC regarding non-im mentation of the reser tion policy in case of pro tion from lecturer principal. — TNS

The Tribune

Meeting held to review welfare policies for SC community

KATHUA, APRIL 03

Dr Anju Bala, Member of the National Commission for Scheduled Castes (NCSC), chaired a meeting of district and sectoral officers at the conference hall of the DC office in Kathua.

The meeting aimed to review the implementation of policies and programmes for the welfare of the SC community in the region. The NCSC Member reviewed progress in pending cases under Prevention of Atrocities against SCs and discussed challenges in implementing programmes and policies effectively.

Director NCSC, SK Singh; Deputy Commissioner Rahul Pandey, Senior Superintendent of Police, Shivdeep Singh Jamwal and other district officers were present.

Dr Bala took a comprehensive sector-wise review and discussed modalities followed by institutions to extend benefits to the SC community under various schemes. The meeting also discussed issues such as increasing school dropout rates, bank loan cases sanctioned to SCs, crime and conviction rates against SCs and other welfare measures.

Emphasizing the need for awareness and education to empower marginalized communities, Dr Bala directed CEO Kathua to conduct regular visits and organize awareness camps in areas with high numbers of out-of-school children to ensure their enrolment.

The NCSC Member urged officials to conduct regular monitoring and evaluation of policies and programmes for the welfare of the SC community and ensure effective implementation.

Later, Dr Bala met delegations including SHGs and NGOs and assured them of support in their endeavours.

سیاست
The Siasat Daily

Home | Telangana | Hyderabad | India | Middle East | Entertainment | Business | Photos | Videos

Siasat.com / News / Andhra Pradesh / Andhra police invokes SC-ST Act against hotel for serving food on plates with Ambedk

Andhra police invokes SC-ST Act against serving food on plates with Ambedkar's NCSC

NCSC received a complaint on July 8 last year through Twitter

Andhra Pradesh Police

New Delhi: The Andhra Pradesh Police has invoked the SC-ST Act against a hotel that served food on paper plates with the pictures of B R Ambedkar on those, the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) said on Tuesday.

TRENDING NE

Know Eid-ul-Fitr Telangana

Pic talk: SRK's bl cigarette at Bab iftar party

'Tell Yogi...', KTR working in 'no-r Hyderabad

Unhappy with Il Prof turns porte Hyderabad

Possibility of Ind Eid-ul-Fitr with Here's why

BJP leader Neer in road accident

Sana Khan share story on viral vid Saiyad 'dragging

Aamir Khan and marriage

Shah Rukh Khan

THE NEW INDIAN EXPRESS

NATION | WORLD | STATES | CITIES | OPINIONS | BUSINESS | SPORT | GOOD NEWS | MOVIES | PHOTOS | VIDEOS

Home > States > Andhra Pradesh

Andhra police invoke SC/ST Act against hotel for serving food on plates with Ambedkar's image

When a protest was staged against this by the Dalits, the hotel owner got an FIR lodged against 18 men.

Published: 18th April 2023 08:00 PM | Last Updated: 18th April 2023 08:03 PM

Image of Dr BR Ambedkar used for representational purpose only.

By PTI

NEW DELHI: The Andhra Pradesh Police has invoked the SC/ST Act against a hotel that served food on paper plates with pictures of B R Ambedkar on it, the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) said on Tuesday.

The NCSC received a complaint on July 8 last year through Twitter, alleging that food was served on paper plates with the picture of Ambedkar in a hotel in the Konaseema district.

When a protest was staged against this by the Dalits, the hotel owner got an FIR lodged against 18 men. The police arrested the 18 Dalit men and sent them to jail.

दैनिक सवेरा टाइम्स

खबरों में आयोग

पंजाब सरकार ने एन.सी.एस.सी. को दी जानकारी

लैक्चरार से प्रिंसीपल पद पर पदोन्नति से संबंधित आदेश वापस लिए जाएंगे

एन.सी.एस.सी. अध्यक्ष विजय सांपला ने शिक्षा विभाग को एस.सी. संस्थाओं के साथ बैठक करने को कहा

सवेरा न्यूज/नरेश

चंडीगढ़, 20 अप्रैल : स्कूल शिक्षा विभाग ने वीरवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) को एक हलफनामा सौंपकर कहा कि लैक्चरार/ हैडमास्टर/ वोकेशनल लैक्चरार की प्रिंसीपल पद पर पदोन्नति संबंधी आदेश वापस ले लिए जाएंगे। पंजाब सरकार ने एनसीएससी से कहा कि शिक्षा विभाग पंजाब, लैक्चरार/ हैडमास्टर/ वोकेशनल लैक्चरार को प्रिंसीपल पद पर पदोन्नत करने के संबंध में जारी पत्र संख्या 1/465866/ 2022 दिनांक 29.11.2022 को एनसीएससी के निर्देश के मद्देनजर वापस लेगा।' एन.सी.एस.सी. के अध्यक्ष विजय सांपला ने शिक्षा विभाग को सभी संबंधित एस.सी. संस्थाओं के साथ उनकी शिकायतों को हल करने के लिए बैठक करने का निर्देश दिया है।

साथ ही उन्होंने विभाग को आदेश दिए हैं कि पहले आरक्षण रजिस्टर/ रोस्टर रजिस्टर तैयार करे, उसके बाद उसी के आधार पर लैक्चरार/ हैड मास्टर/ वोकैशनल लैक्चरार/ प्रिंसीपल की वरिष्ठता सूची बनाकर एन.सी. एस.सी. को दिखाए और उसके बाद डी.पी.सी. आयोजित करे।

गौरतलब है कि पंजाब की कई सारी अनुसूचित जाति संस्थाओं ने लैक्चरार से प्रिंसीपल के पद पर पदोन्नति के मामले में आरक्षण नीति को लागू नहीं करने के संबंध में एनसीएससी को शिकायत की थी।

विजय सांपला

शिकायत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एनसीएससी के अध्यक्ष विजय सांपला ने पंजाब सरकार के अधिकारियों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोग के समक्ष वरिष्ठता सूची प्रस्तुत करने से पहले नहीं करने के लिए कहा था लेकिन अधिकारी बाद में बैठक के लिए आगे बढ़ गए थे और जिसे आज स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा वापस ले लिया गया है।

NCSC member reviews SC welfare policies in Samba

Excelsior Correspondent

SAMBA, Apr 5: Member of the National Commission for Scheduled Castes (NCSC), Dr Anju Bala chaired a meeting with district and sectoral officers at the conference hall of the Deputy Commissioner's office in Samba today.

Dr Bala met with various delegations of the Scheduled Castes (SC) community, including former ministers, District Development Councils (DDCs), Block Development Councils (BDCs), Sarpanches, Bar members and civil society members to discuss issues facing the SC community.

The meeting was attended by Director NCSC, SK Singh, Deputy Commissioner Anuradha Gupta, Senior Superintendent of Police, Benam Tosh and other district officers.

Dr Bala reviewed various schemes benefiting the SC community and discussed institutions to extend benefits to the SC community under various schemes, including Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), Job Cards, Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), Janani Suraksha Yojana (JSY), Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY), Ujjwala Yojana and Jan Dhan Yojana.

Emphasising the need for generating awareness and education to empower marginalised communities, Dr Bala directed officers to conduct regular visits and hold awareness camps in rural areas. Officials were asked to take prompt action to address concerns raised by the SC community and ensure timely redressal of grievances. Dr Bala urged officials to conduct regular monitoring and evaluation of policies and programmes for the welfare of the SC community and ensure effective implementation.

साम्बा जिला मुख्यालय में समस्याओं को सुनती डा. अंजू बाला व साथ में प्रशासनिक अधिकारी। (अंगुराना)

नैशनल कमीशन फॉर एस.सी. की सदस्य डा. अंजू बाला पहुंची साम्बा

लोगों की समस्याओं को सुना

साम्बा, 5 अप्रैल (अजय): नैशनल कमीशन फॉर एस.सी. की सदस्य डा. अंजू बाला आज यू.टी. के दौरे के दौरान साम्बा जिला मुख्यालय में पहुंची और लोगों की समस्याओं को सुना। जिला हैड क्वार्टर में इस दौरान उन्होंने कई शिष्टमंडलों से मुलाकात की और अनुसूचित समाज के जोगों को पेश आ रही समस्याओं को सुना और उन्हें जल्द हल करने का आश्वासन दिया।

मीडिया से बातचीत में डा. अंजू बाला ने कहा कि सभी डेलीगेशन के लोगों ने कश्मीर में ... से ही गम्भीर है और जल्द ही इसका हल निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें एस.सी. वर्ग ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी शामिल है जो कश्मीर में नौकरी करने से डर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यूटी में जल्द ही कमिश्न के कार्यालय खोलने का प्रावधान भी रखा गया है। वहीं चक्क जंगी में आवास तोड़ने पर उन्होंने कहा कि हमने नोटिस जारी किया गया था और प्रशासन ने पूरा सहयोग किया था और ऐसे में हम पहले मौका देखने जरूरी जानते थे। उन्होंने कहा कि यह ...

आयोग की सख्ती के बाद अनुसूचित जाति के 18 युवकों पर की गई एफआईआर निरस्त

● आंध्र प्रदेश एक होटल में डा. भीमराव आम्बेडकर की तस्वीर छपी कागज की प्लेटों पर भोजन परोसने का मामला

सवेरा न्यूज/काम

नई दिल्ली, 18 अप्रैल : आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले के एक होटल में माननीय डॉ. भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर छपी कागज की प्लेटों पर भोजन परोसने के मामले में आज आयोग में सुनवाई हुई। आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने बताया कि सुनवाई के दौरान पुलिस ने आयोग को जानकारी दी कि मामले में एससी-एसटी एक्ट व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 295ए को आयोग के निर्देशानुसार जोड़ दिया गया है। साथ ही अनुसूचित जाति के 18 युवकों पर की गई एफआईआर को भी निरस्त कर दिया गया इस दौरान आंध्र प्रदेश सरकार की जी जयलक्ष्मी, प्रमुख सचिव (समाज कल्याण विभाग), कलेक्टर हिमांशु शुक्ला, गुंटूर रेंज के आईजी आईपीएस जे. प्रभाकर राव, कोनासीमा जिले के एसपी सुधीर कुमार रेड्डी मौजूद रहे।

बैठक में वार्तालाप करते गणमान्य।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने बताया कि पिछली सुनवाई के दौरान आयोग ने आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार प्रकरण की अपने स्तर पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से जांच करें। एसपी कोना सीमा को मामले में 18 अनुसूचित जाति युवकों के विरुध दर्ज झूठी एफआईआर को तुरन्त निरस्त करने एवं एफआईआर में आईपीसी की संबंधित धाराओं को शामिल कर कार्यवाही किये के निर्देश दिए गए थे। बता दें कि आयोग को 8 जुलाई 2022 को सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से एक शिकायत मिली जिसमें यह आरोप लगाया गया कि आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले के एक होटल में माननीय डॉ. भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर छपी कागज की प्लेटों पर भोजन परोसा गया। जब अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा इस घटना के विरुध आवाज उठाई गई तो आरोपी होटल मालिक ने शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति के 18 युवकों के विरुध झूठी एफआईआर दर्ज करा दिया। पुलिस ने सभी 18 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा निर्दोष अनुसूचित जाति के युवकों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर रद्द करने एवं दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की।

Will hold promotion of lecturers, NCSC told

Chandigarh: Punjab government's school education department on Thursday submitted an undertaking before the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) that orders related to the promotion of lecturer, headmaster, vocational lecturer to the post of principal will be withdrawn to ensure reservation in promotion.

"The education department undertakes to withdraw letter number 1/465866/2022 dated 29-11-2022 relating to the promotion of lecturer/headmaster/vocational lecturer to the post of principal in view of the direction of NCSC," informed the Punjab government. Commission chairman Vijay Sampla has directed the school education department to hold meetings with all the concerned scheduled caste associations to resolve their grievances. He has also instructed the department to prepare reservation registers/roster registers, followed by a seniority list of lecturer/headmaster/vocational lecturer/principal before holding the departmental promotion committee (DPC) meeting.

Various SC organisations had submitted a complaint to the commission regarding the non-implementation of reservation policy in case of promotion from lecturer to principal. Taking strict action against the complaint, Sampla directed the Punjab government officers not to hold the meeting of the DPC before the seniority list was furnished before the commission, but the officers had later gone ahead with the meeting. TNN

ThePrint

POLITICS GOVERNANCE ECONOMY DEFENCE INDIA GROUND REPORTS OPINION EVENTS VIDEO MORE

India

Andhra police invokes SC-ST Act against hotel for serving food on plates with Ambedkar's picture: NCSC

PTI 18 April, 2023 08:04 pm IST

Text Size: A- A+

New Delhi, Apr 18 (PTI) The Andhra Pradesh Police has invoked the SC-ST Act against a hotel that served food on paper plates with the pictures of B R Ambedkar on those, the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) said on Tuesday.

भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट की।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला को पंजाब के फाजिल्का आगमन पर स्थानीय प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवां तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट
नई दिल्ली-110003